फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व वाद जीसीएमएस नंबर 2024/90 बअनवान पोनी वगैरा बनाम भाणा वगैरा
वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
28/10/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी श्री गणपतलाल चौधरी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 01, 02, 03, 04 अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या 05 पेरोकार सरकार उपस्थित। उपस्थित वकुलाय की बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात ज्ञात है कि वादीगण द्वारा अपने आप को स्वर्गीय पुना पुत्र अनाजी की वारिस पुत्रियां बताते हुये स्वर्गीय पूना द्वारा धारित पैतृक पुश्तैनी भूमि ग्राम बीजापुर के हाल खसरा नंबर 1405 रकबा 0.86 हैक्टर एवं खसरा नंबर 1407 रकबा 1.41 हैक्टर कुल रकबा 2.27 हैक्टर के संबंध में दाखिल फौतेदगी नामांतरकरण के समय प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का ही नाम दर्ज किया, जबकि स्वर्गीय पुनाजी के वारिस में वादीगण संख्या 01 से 03 (पुत्रियां) एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 पुत्रगण थे। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में वादीगण भी प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के साथ 1/2 हिस्से की खातेदार थी। परंतु विधि विरूद्ध तरीके से सैटलमेंट कर्मचारियों से मिलकर प्रतिवादी संख्या 01 से 03 ने भूमि अपने नाम दर्ज करवा दी तथा इसके पश्चात संपूर्ण भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या 04 को कर दिया है। तथा प्रतिवादी संख्या 04 वादीगण को खातेदार नहीं मान रहा है। जिससे हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत एक हिंदु पुरूष के निर्वसीयती मृत्यु होने पर उसके पुत्र, पुत्रियां एवं पत्नी तथा माता प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी होते है। चूकि पुनाजी की मृत्यु से पहले उनकी माता व पत्नी की मृत्यु हो गई थी जिससे मृत्यु के समय जीवित वारिस तीन पुत्रियां व तीन पुत्र होने से वादीगण वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से की घोषणा खातेदारी के साथ प्रतिवादीगण के विरूद्ध सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री पारित कराने के अधिकारी है। विद्वान वकील वादी द्वारा दौराने बहस न्यायिक दृष्टांत 2025(3) डीएनजे (एससी) पेज 965 की प्रति पेश कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रामचरण वगैरा बनाम सुखराम वगैरा में दिनांक 17.07.2025 को पारित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 14 व 15 के अनुसार वादीगण को पुश्तैनी भूमि में अपने भाईयों के साथ बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित करते हुये विभाजन की डिक्री पारित किये जाने की दलील दी। वादपत्र के साथ प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य से कहीं पर यह	

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	प्रमाणित नहीं है कि वादग्रस्त भूमि स्वर्गीय पुना पुत्र अनाजी की पैतृक पुश्तैनी भूमि रही हो। इसके साथ ही वादीगण ने अपने आपको स्वर्गीय पुना पुत्र अनाजी के वारिस पुत्रियां होना वर्णित करते हुये वाद पेश किया है। जो मात्र शपथ व बयानों के आधार पर विधिक वारिस नहीं माना जा सकता जिससे वादीगण द्वारा ग्राम बीजापुर स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 1405 व 1407 कुल रकबा 2.27 हैक्टर के संबंध में प्रस्तुत घोषणात्मक वाद स्वीकार योग्य नहीं है। हस्तगत प्रकरण में यह भी स्वीकार्य तथ्य है कि वादीगण की जाति मीणा है जो अनुसूचित जनजाति में शुमार है तथा अनुसूचित जनजातियों को आदिम जाति मानते हुये इनकी प्रचलित रिवाज के अनुसार ही भूमियों के नामांतरकरण किये जाने के प्रावधान है। वादीगण पर हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नही होकर अनुसूचित जनजाति की सदस्या होने से आदिम जाति के लिये क्षेत्र में प्रचलित नियमों के अनुसार ही भूमि के हक अधिकार न्यायगत होंगे। जिससे भी वादीगण का वाद स्वीकार योग्य नहीं है। अतः वादीगण द्वारा ग्राम बीजापुर स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 1405 व 1407 कुल रकबा 2.27 हैक्टर के संबंध में प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल मार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

वादीगण :–

1–पोनी पुत्री पूनाजी, आयु 58 वर्ष
2. रती पुत्री पूनाजी, आयु 54 वर्ष
3. किया पुत्री पूनाजी, आयु 45 वर्ष
तमाम जाति से मीणा, निवासीगण बीजापुर
तहसील– बाली

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1–भाणा पुत्र पुनाजी, आयु– बालिग.
2. मनीया पुत्र पुनाजी, आयु– बालिग
3. स्व0 मोवना पुत्र पुनाजी, के कायम मुकाम वारिसान'–
3/1– गेराराम पुत्र मोवना, आयु– बालिग
3/2– हीराराम पुत्र मोवना आयु बालिग,
3/3– सुखीदेवी पत्नि मोवना, आयु बालिग
जतिगण मीणा, निवासी– बीजापुन, तहसील बाली
4. मूर्ती मीणा पत्नि बी.एस.मीणा, आयु– बालिग
जाति मीणा निवासी द्वारका साउथ वेस्ट दिल्ली
5– राजस्थान सरकार भुमिधारी जरिये प्रतिनिधी तहसलीदार बाली

राजस्व वाद प्रकरण संख्या Gcms No. 2024/90
वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष हाजरी वकील वादी व पेरोकार सरकार पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् वादी द्वारा ग्राम बीजापुर स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 1405 व 1407 कुल रकबा 2.27 हैक्टर के संबंध में प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28-10-25 को जारी किया गया।

मोहर

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी ★ बाली, जिला-पाली (राज.)

(दिनेश विश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with OKEN Scanner